



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष ७, अंक ६ ]

मंगळवार, जुलै ६, २०२१/आषाढ १५, शके १९४३

[पृष्ठे २३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६ (१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

**L. A. BILL No. XVI OF 2021.**

A BILL

THE AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2022.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १६ सन् २०२१।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२२ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२२ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :-

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२१ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

(१)

राज्य की संचित  
निधि में से वित्तीय  
वर्ष २०२१-२०२२  
के लिये,  
२ खरब,  
३१ अरब,  
४९ करोड़,  
७५ लाख,  
३१ हजार  
रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमों, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर दो खरब, इकतीस अरब, उनचास करोड़, पचहत्तर लाख, इकतीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२२ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग। ३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२२ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

**अनुसूची**  
(धाराएं २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		कुल
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	
			रुपये	रुपये	रुपये
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	२२२०, सूचना तथा प्रचार।	३१,४०,९३,०००	.....	३१,४०,९३,०००
बी-१	पुलिस प्रशासन।	कुल—सामान्य प्रशासन विभाग	३१,४०,९३,०००	.....	३१,४०,९३,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।		२,६७,३८,५४,०००	.....	२,६७,३८,५४,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	गृह विभाग	६,८५,००,०००	.....	६,८५,००,०००
बी-५	जेल।		१,०८,००,०००	.....	१,०८,००,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	कुल गृह विभाग।	४,००,००,०००	.....	४,००,००,०००
			१,००,००,००,०००	.....	१,००,००,००,०००
		कुल गृह विभाग।	३,७९,३१,५४,०००	.....	३,७९,३१,५४,०००

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
सी-७	वन।	<b>राजस्व तथा वन विभाग</b> २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाडी क्षेत्र। कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	४०,००,००,००० ४०,००,००,०००	४०,००,००,०००
डी-३	कृषि सेवाएँ।	<b>कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग</b> २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	२,५०,००,००,०००	२,५०,००,००,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	४,००,००,०००	४,००,००,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	२४०५, मत्स्य उद्योग।	२८,०२,२१,०००	२८,०२,२१,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	२,८२,०२,२१,०००	२,८२,०२,२१,०००
इ-२	सामान्य शिक्षा।	<b>विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग</b> २२०२, सामान्य शिक्षा। कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	२,९०,६०,६३,००० २,९०,६०,६३,०००	२,९०,६०,६३,०००
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	<b>नगरविकास विभाग</b> २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास। ३०५४, सड़क तथा पुल।	२,९४,७०,००,०००	२,९४,७०,००,०००

एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	१२,००,०१,०००	१२,००,०१,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	३,०६,७०,०१,०००	३,०६,७०,०१,०००
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	१०,००,०००	१०,००,०००
		कुल—वित्त विभाग।	१०,००,०००	१०,००,०००
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	१,५०,००,००,०००	१,५०,००,००,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	२,००,००,००,०००	२,००,००,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।	५८,१८,००,०००	५८,१८,००,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	४,०८,१८,००,०००	४,०८,१८,००,०००
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	५,५३,९२,०००	१,६७,१४,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	५,५३,९२,०००	१,६७,१४,०००

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	रुपये
के-६	ऊर्जा।	उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग { २८०१, विद्युत्। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।	..	८,५०,००,००,०००	.....	८,५०,००,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	८,५०,००,००,०००	.....	८,५०,००,००,०००
		<b>ग्रामविकास विभाग</b>				
एल-२	जिला प्रशासन।	.. २०५३, जिला प्रशासन।	..	१०,००,००,०००	.....	१०,००,००,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग।	..	१०,००,००,०००	.....	१०,००,००,०००
		<b>खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग</b>				
एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	.. २४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	..	९,४२,०००	.....	९,४२,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	..	९,४२,०००	.....	९,४२,०००

## सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

२०५३, जिला प्रशासन।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास।
२२१७, नगर विकास।

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	१७,६२,६६,७०,०००	१७,६२,६६,७०,०००
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।	..	..
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१७,६२,६६,७०,०००	१७,६२,६६,७०,०००
		२२३६, पोषण।	..	..
		२४०१, कृषि कर्म।	..	..
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	..	..
		२४०३, पशुपालन।	..	..
		२४०५, मत्स्योद्योग।	..	..
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	..
		२४०८, खाद्य, गोदाम और भण्डारकरण।	..	..
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	..	..
		२५०५, ग्राम नियोजन।	..	..
		२८०१, विद्युत।	..	..
		२८१०, नविन तथा नविकरणीय ऊर्जा।	..	..
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	..	..
		२८५२, उद्योग।	..	..
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	१७,६२,६६,७०,०००	१७,६२,६६,७०,०००
		<b>योजना विभाग</b>		
ओ-२	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	४४,८३,५०,०००	४४,८३,५०,०००
ओ-३	ग्राम नियोजन।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१,००,००,००,०००	१,००,००,००,०००
		२५०५, ग्राम नियोजन।	..	..

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०५, मत्स्य उद्योग। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन।	..	४,०००	...	४,०००



२२०२, सामान्य शिक्षा।	१,०००	९,०००
२२०३, तर्कनीकी शिक्षा।	..	..
२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	..	..
२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	..
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	..
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..	..
२२१७, नगर विकास।	..	..
२२२०, सूचना तथा प्रचार।	..	..
२२३०, श्रम तथा नियोजन।	..	..
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	..
२२३६, पोषण।	..	..
२४०३, पशुपालन।	..	..
२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	..	..
२४०५, मत्स्य उद्योग।	..	..
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	..
२४२५, सहकारिता।	..	..
२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	..	..
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	..	..
२७०२, लघु सिंचाई।	..	..
२८०१, विद्युत।	..	..
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	..	..
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	..	..
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।	..	..
३०५४, सड़क तथा पुल।	..	..
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।	..	..
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	..	..
३४५२, पर्यटन।	..	..
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	..	..
संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	..

ओ-२० जिला योजना - रायगढ़।

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	रुपये
२२०२,	सामान्य शिक्षा।					
२२०३,	तर्कनीकी शिक्षा।					
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।					
२२०५,	कला तथा संस्कृति।					
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।					
२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।					
२२१७,	नगर विकास।					
२२२०,	सूचना तथा प्रचार।					
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।					
२२३०,	श्रम तथा नियोजन।					
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।					
२२३६,	पोषण।					
२४०३,	पशुपालन।					
२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।			२,०००	...	२,०००
२४०५,	मत्स्य उद्योग।			..		
२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।					
२४२५,	सहकारिता।					
२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।					
२७०२,	लघु सिंचाई।					
२८०१,	विद्युत।					
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।					
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।					
३०५४,	सड़क तथा पुल।					
३४५१,	सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।					
३४५२,	पर्यटन।					
३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।					

ओ-२६ जिला योजना - पुणे।

२२०२, सामान्य शिक्षा।	
२२०३, तर्कनीकी शिक्षा।	
२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	
२२०५, कला तथा संस्कृति।	
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	
२२१७, नगर विकास।	
२२२०, सूचना तथा प्रचार।	
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
२२३०, श्रम तथा नियोजन।	
२२३६, पोषण।	
२४०३, पशुपालन।	
२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	
२४०५, मत्स्य उद्योग।	
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	
२७०२, लघु सिंचाई।	
२८०१, विद्युत।	
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	
३०५४, सड़क तथा पुल।	
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	
३४५२, पर्यटन।	
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	

ओ-३६ जिला योजना - नासिक।

४,०००

४,०००

..

...

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७४	जिला योजना -अमरावती।	<p>२२०२, सामान्य शिक्षा।            २२०३, तकनीकी शिक्षा।            २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।            २२०५, कला तथा संस्कृति।            २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।            २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।            २२१७, नगरविकास।            २२२०, सूचना तथा प्रचार।            २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,            अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।            २२३०, श्रम तथा नियोजन।            २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।            २२३६, पोषण।            २४०३, पशुपालन।            २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।            २४०५, मत्स्य उद्योग।            २४०६, वन तथा वन्य जीवन।            २४२५, सहकारिता।            २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।            २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।            २७०२, लघु सिंचाई।            २८०१, विद्युत।            २८१०, नविन तथा नविकरणीय उर्जा।            २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।            ३०५४, सड़क तथा पुल।            ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।            ३४५२, पर्यटन।            ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज            संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।</p>	..	१,०००	...	१,०००
	कुल—योजना विभाग।	..	१,४४,८३,७८,०००	...	१,४४,८३,७८,०००	

**लोकस्वास्थ्य विभाग**

आर-१ चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।</li> <li>२२११, परिवार कल्याण ।</li> <li>२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।</li> </ul> }	..	३६,१३,९०,५७,०००	३६,१३,९०,५७,०००
		..	..	..
		कुल-लोकस्वास्थ्य विभाग ।	..	३६,१३,९०,५७,०००

**चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग**

एस-१ चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	..	५,१३,७३,०१,०००	५,१३,७३,०१,०००
	..	५,१३,७३,०१,०००	५,१३,७३,०१,०००

**जनजाति विकास विभाग**

टी-५ जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय ।	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>२०५९, लोक निर्माण कार्य ।</li> <li>२२०२, सामान्य शिक्षा ।</li> <li>२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ ।</li> <li>२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।</li> <li>२२११, परिवार कल्याण ।</li> <li>२२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता ।</li> <li>२२१७, नगर विकास ।</li> <li>२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।</li> <li>२२३०, श्रम तथा नियोजन ।</li> <li>२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।</li> <li>२२३६, पोषण ।</li> <li>२४०१, कृषि कर्म ।</li> <li>२४०३, पशुपालन ।</li> <li>२४०५, मत्स्योद्योग ।</li> <li>२४०६, वन तथा वन्यजीवन ।</li> <li>२४२५, सहकारिता ।</li> <li>२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम ।</li> <li>२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।</li> <li>२५०५, ग्राम नियोजन ।</li> </ul> }	..	५,२८,४५,५८,०००	५,२८,४५,५८,०००
---	--	----	----------------	----------------

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । २८५२, उद्योग । ३०५४, सडक तथा पुल । ३०५५, सडक परिवहन ।	५,२८,४५,५८,०००	५,२८,४५,५८,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग ।	...	...
		<b>सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग</b>		
वी-१	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । २८५२, उद्योग । ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ । ३४५६, सिविल अपूर्ति ।	१,२९,०३,०००	१,२९,०३,०००
वी-२	सहकारिता ।	कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।	६,७१,५२,४७,०००	६,७१,५२,४७,०००
		<b>उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग</b>		
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा ।	२२०२, सामान्य शिक्षा ।	१०,००,०१,०००	१०,००,०१,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	२,००,००,०००	२,००,००,०००
		कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	१२,००,०१,०००	१२,००,०१,०००

**महिला तथा बाल विकास विभाग**

एक्स-१ सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	६,२८,३१,५८,०००	६,२८,३१,५८,०००
	कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	६,२८,३१,५८,०००	६,२८,३१,५८,०००

**जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग**

वाय-२ जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	३०,००,००,००,०००	३०,००,००,००,०००
	कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	३०,००,००,००,०००	३०,००,००,००,०००

**कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग**

जेड-क-२ सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	३,६८,०००	३,६८,०००
	कुल— कुशलता विकास,नियोजन तथा उद्यम विभाग।	३,६८,०००	३,६८,०००

**महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय**

जेड ग-१ संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२,०००	२,०००
जेड ग-२ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२,४३,९०,०००	२,४३,९०,०००
	कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	२,४३,९२,०००	२,४३,९२,०००

**पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग**

जेड घ-२ कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	२,४४,१०,०००	२,४४,१०,०००
	कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	२,४४,१०,०००	२,४४,१०,०००

**मराठी भाषा विभाग**

जेड च-१ सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	८१,२१,०००	८१,२१,०००
	कुल— मराठी भाषा विभाग।	८१,२१,०००	८१,२१,०००
	कुल — क-राजस्व लेखे पर व्यय।	१,३४,८५,०९,५९,०००	१,३४,९६,०९,४४,०००

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
	<b>ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय</b>				
		<b>गृह विभाग</b>			
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ५००२, भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाईन) पर पूँजीगत परिव्यय। ५०५५, सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय।	...	१८,००,००,०००	१८,००,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	..	१८,००,००,०००	१८,००,००,०००
		<b>राजस्व तथा वन विभाग</b>			
सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ६२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।	..	१,७०,४४,०००	१,७०,४४,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	१,७०,४४,०००	१,७०,४४,०००
डी-८	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय।	<b>कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग</b>	..	१९,००,००,०००	१९,००,००,०००
		कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	१९,००,००,०००	१९,००,००,०००
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	<b>नगरविकास विभाग</b>	..	१७,८०,००,०००	१७,८०,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग	..	१७,८०,००,०००	१७,८०,००,०००



जी-१	लोक ऋण तथा अन्तर राज्य समझौता।	६००३, ६००४, ७८१०,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम। अंतर राज्य समझौता।	.. .. ..	१,००० १,००० १,०००	१,०००
		कुल—वित्त विभाग।		..	१,०००	१,०००
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, ४७११, ५०५४, ४०५९, ४२०२,	लोक निर्माण कार्य विभाग आवास पर पूंजीगत परिव्यय। बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	.. .. .. .. ..	३८,००,००,०१,००० ...	३८,००,००,०१,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, ४२१७, ४२३५, ४२५०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	.. .. .. ..	३२,०८,०२,००० ...	३२,०८,०२,०००
		कुल—लोक निर्माण कार्य विभाग।		..	३८,३२,०८,०३,०००	३८,३२,०८,०३,०००
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, ४७०१, ४७०२,	जलस्रोत विभाग मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	.. .. ..	४४,००० ...	४४,०००

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	}	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४,०००	४४,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।				
		<b>उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग</b>	}	६८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६,२०,३५,०००	६,२०,३५,०००
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।				
के-१२	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।				
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।				
		<b>सामाजिक, न्याय तथा विशेष सहायता विभाग</b>	}	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	८०,००,००,०००	८०,००,००,०००
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत व्यय।				
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।				
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।				

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमां पर पूंजीगत परिव्यय ।	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमां पर पूंजीगत परिव्यय ।	३,१०,००,००,०००	३,१०,००,००,०००
ओ-११	जिला योजना—रायगड ।	<p>४५११५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमां पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४०५९, लोकनिर्माण कार्यां पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४२१६, आवास पर पूंजीगत व्यय ।</p> <p>४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४४१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमां पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।</p> <p>६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।</p> <p>६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।</p>	७,०००	७,०००
ओ-२७	जिला योजना—पुणे ।	<p>४०५९, लोकनिर्माण कार्यां पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमां पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।</p> <p>५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।</p>	१,०००	१,०००

## अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज।			
६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।			
४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		२,०००	२,०००
४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०५,	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		६,०००	६,०००
४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
ओ-३७	जिला योजना—नासिक।			
ओ-७५	जिला योजना—अमरावती।			

४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत  
परिव्यय ।  
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।  
६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।  
६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।  
६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।

कुल—योजना विभाग । . . . . ३,१०,००,१६,०००

### लोकस्वास्थ्य विभाग

आर-३ चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर  
पूंजीगत व्यय ।

४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय । . . . . ३०,४०,००,०००

कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग । . . . . ३०,४०,००,०००

### चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-४ चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर  
पूंजीगत परिव्यय ।

४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर  
पूंजीगत परिव्यय । . . . . १,१४,६९,८३,०००

कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग । . . . . १,१४,६९,८३,०००

### जनजाति विकास विभाग

टी-६ जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर  
पूंजीगत परिव्यय ।

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।  
४२०२, शिक्षा क्रीडा, कला तथा संस्कृति  
पर पूंजीगत परिव्यय ।  
४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,  
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों  
के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।  
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।  
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।  
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।  
४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।  
४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।  
४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।  
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।

कुल—जनजाति विकास विभाग । . . . . २,०००

कुल—जनजाति विकास विभाग । . . . . २,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
	<b>सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग</b>			
बी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	८८,२३,८०,०००	८८,२३,८०,०००
बी-४	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	७७,७९,०००	७७,७९,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	८८,२३,८०,०००	८९,०१,५९,०००
	<b>कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग</b>			
जेड क-४	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००
		कुल—कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग।	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००
	<b>अल्पसंख्यक विकास विभाग</b>			
जेड ड-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	७५,००,००,०००	७५,००,००,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	७५,००,००,०००	७५,००,००,०००
	<b>अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग</b>			
जेड छ-४	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत व्यय।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत व्यय।	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००
		कुल—अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग।	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००
		कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय।	४६,६२,२३,२४,०००	९६,५३,६५,८७,०००
		कुल योग।	४९,७३,२३,०९,०००	२,३१,४९,७५,३९,०००

**उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।**

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में, राज्य की समेकित निधि में से, वर्ष २०२१-२०२२ के संबंध में कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दिखायी गई हैं :-

	रुपये
(क) राजस्व व्यय	१,३४,९६,०९,४४,०००
(ख) पूँजीगत व्यय	९६,५३,६५,८७,०००
कु ल	२,३१,४९,७५,३१,०००

मुंबई,  
दिनांकित ६ जुलाई, २०२१।

**अजित पवार,**  
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

**विजया ल. डोनीकर,**  
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।